

31-5-21

पत्तावली पेश हुई/ वकील महाराज अनुपस्थित,
वकीलवादी न प्रतीनादिओं को न्यायालय समक्ष
तन बार-बार आवान लगावाई गई लेकिन कोई
उपाय नही हुआ और ना ही प्रमाण अवसर
के प्रतीनादिओं को तामील हेतु जलवागानोपेस
केवाले तामील पेश किये हैं।

अतः वादी ना बाद अन्वित ६५५ ५३, ४४ -
रा. ही. ए. प्रतीनादिओं को नही तामील जलवागानो
नोपेस पेश कही काने न प्रमाण अवसर दिने
जमे फिर भी पेश नही किये जमे हैं के अमान मे
अन्वित आदेश ०१ निगम ०५ के तहत वीरिण
निगम जाता है। पत्तावली के सब दुमारे होकर
जम्बर से नाम होकर वाकिल दफ्तर हो।
निर्णय पुके न्यायालय में सुनाया गया।

सुपरवजड अधिकारी
साँभर लेक

